



2026:AHC:12838

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44978 / 2025

रोशन और अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: शुभम, सूरज राज

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम तथा राज्य प्रतिवादियों की ओर से श्री शशांक सिंह, ब्रीफ होल्डर ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदकगण रोशन कुमार एवं ईशु कुमार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 327 सन् 2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें दुर्भावनावश इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध दर्शाए गए एक आपराधिक प्रकरण का समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त दीपक कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 07.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 67 सन् 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदकगण किसी गैंग के सदस्य, नेता अथवा आयोजक नहीं हैं तथा उन्होंने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ब) में वर्णित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गैंग की गतिविधियों में किसी प्रकार की सहायता या उकसावा नहीं दिया है। आवेदकगण का उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदकगण के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण दिनांक 07.10.2025 से कारागार में निरुद्ध हैं तथा यह आश्वासन देते हैं कि यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। साथ ही यह भी इंगित किया गया कि न्यायालयों में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्पादन की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु यह स्वीकार किया कि समान परिस्थितियों वाले उपर्युक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्त तथ्यों की समग्रता, प्रकरण की प्रकृति तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान करने हेतु उपर्युक्त मामला है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदकगण **रोशन कुमार एवं ईशु कुमार** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि वे न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समरूप धनराशि का निजी मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करेंगे, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

(i) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो।

(ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के गवाहों को किसी प्रकार का दबाव/धमकी नहीं देंगे।



(iii) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष निम्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे—(क) वाद के उद्घाटन के समय, (ख) आरोप निर्धारण के समय, (ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय।

(iv) आवेदकगण यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे उन तिथियों पर, जब गवाह साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित हों, किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेंगे।

(v) आवेदकगण प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे वाद के गुण-दोष पर किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा तथा इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

दिनांक : 19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)